(2)

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 22.01.05 को एफ0आर0डी0सी0 सभागार में सम्पन्न हुई पांचवी बैठक का कार्यवृत्त

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण की पांचवी बैठक दिनांक 22.01.05 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वन एवं ग्राम्य विकास, सभागार में सम्पन्न हुई। बोर्ड की अध्यक्ष महोदया की अनुपस्थिति में सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तरांचल शासन द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गयी। निम्नलिखित सदस्यों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया:–

1. श्री संजीव चोपड़ा, सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. डा0 रणवीर सिंह, सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. श्री बी.एस. बरफाल, प्रमुख वन संरक्षक,, उत्तरांचल।
4. श्री सी.वी.एस. नेगी, सदस्य सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।
5. श्री आलोक कुमार, अपर सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल शासन।
6. श्री डी.के. गुप्ता, अपर सचिव, नगर विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
7. श्री एस.पी. सुबुद्धि, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
8. श्री एन.के. जोशी, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
9. श्री विक्रम सिंह नेगी, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
10. श्री भजन सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।
11. श्री पी.एस. रावत, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार ।
12. श्रीमती ऊषा चौधरी, अध्यक्षा, नगर पालिका परिषद्, काशीपुर।
13. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, देहरादून।
14. श्री अरविन्द कुमार, सदस्य, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड के सदस्यों का स्वागत किया गया तथा परिचय प्राप्त किया गया । तदोपरान्त बैठक की कार्यसूची के अनुसार निम्न निर्णय लिये गये :–

क्र. सं.	विषय	निर्णय
1.	चतुर्थ बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।	बोर्ड की चतुर्थ बैठक दिनांक 11.08.04 को सम्पन्न हुई। बोर्ड के पत्रांक: यू.ई.पी.पी.सी.बी./एच.ओ./चतुर्थ बोर्ड बैठक/04/1852 दिनांक 16.08.04 द्वारा कार्यवृत्त सभी सदस्यों को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया था। बोर्ड सदस्यों की ओर से कोई टिप्पणी प्राप्त न होने के कारण कार्यवृत्त अनुमोदित समझा गया।
2.	चतुर्थ बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या एवं वर्तमान तक बोर्ड द्वारा किये गये कार्यों की प्रगति का प्रस्तुतिकरण।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। चार्टर्ड इंजीनियर्स के पंजीकरण की योजना के लागू होने पर सभी बोर्ड सदस्यों द्वारा बोर्ड अधिकारियों की सराहना की गयी।
3.	वित्तीय वर्ष 2005–06 में बोर्ड का बजट स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

4.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल/वायु सहमति एवं प्राधिकार निर्गत करने हेतु राज्य बोर्डों को प्रेषित दिशा-निर्देशों को उत्तरांचल बोर्ड में लागू करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये:- (1) दून वैली में केवल नारंगी श्रेणी के उद्योग जिनकी परियोजना लागत 03 करोड़ रू0 से अधिक है, को वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनापत्ति दी जायेगी। (2) अन्य प्रकरणों में व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। इसमें परिवर्तन का प्रस्ताव प्रथमतः उद्योग विभाग से विचार-विमर्श के पश्चात् आगामी बोर्ड बैठक में लाया जाये।
5.	उद्योगों की जल या वायु सहमति अस्वीकार होने की दशा में उद्योग द्वारा एक माह के अन्दर वांछित बैंक गारंटी के साथ पुनः आवेदन करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव बैंक गारंटी में संशोधन के उपरान्त स्वीकृत किया गया :- **श्रेणी** — **बैंक गारंटी** रू0 10 लाख तक — रू0 5000/- रू0 10 लाख से 25 लाख तक — रू0 10,000/- रू0 25 लाख से 50 लाख तक — रू0 25,000/- रू0 50 लाख से 01 करोड़ तक — रू0 50,000/- रू0 01 करोड़ से 05 करोड़ तक — रू0 1,00,000/- रू0 05 करोड़ से 10 करोड़ तक — रू0 2,00,000/- रू0 10 करोड़ से अधिक — रू0 5,00,000/-
6.	हरिद्वार एवं पन्तनगर में सिडकुल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बनाये जाने पर बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति/अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 07.07.2004 आच्छादित न होने की दशा में संदर्भित औद्योगिक क्षेत्रों व पर्यावरणीय स्वीकृति/अनापत्ति दिये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।
7.	परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु Common Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) बनाये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
8.	बोर्ड मुख्यालय हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। लोहारवाला या अधोईवाला उक्त हेतु नगर निगम, देहरादून द्वारा भूमि उपलब्ध करा जा सकती है।
9.	बोर्ड में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को प्रतिमाह अधिकतम रू0 500/- के सेलफोन के बिल की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
10.	पिछली बोर्ड बैठकों में अनुमोदित विभिन्न प्रस्ताव, जो कि उत्तरांचल शासन स्तर पर लंबित हैं, पर समीक्षा के सम्बन्ध में।	समीक्षा की गयी एवं प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
11.	बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

12.	जन शिकायतों के प्रकरणों पर जिलाधिकारी के माध्यम से शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही किया जाना।	जिन शिकायतों पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है, उनको जिलाधिकारी को प्रेषित कर प्रकरण का निस्तारण किया जाये। अन्य जन–शिकायतों पर बोर्ड स्तर से कार्यवाही हो भले ही यह शिकायतें बोर्ड को सीधे प्राप्त हुई हों।
13.	दून वैली में डी.जी. सैट की अनुमति अनुमन्य करने हेतु।	इस संदर्भ में केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को एकॉस्टिक एन्कलॉजर्स एवं प्रदूषण नियंत्रण इकाई के साथ संचालित किये जाने पर मानक निर्धारित करने हेतु बोर्ड द्वारा पत्र प्रेषित किया जाये।
14.	श्री विपिन कुमार को बोर्ड में सलाहकार के रूप में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।	मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों के अनुपालन में श्री विपिन कुमार पूर्णकालिक रूप से 03 माह के लिये रू0 20,000/– प्रतिमाह (01 दिसम्बर, 2004 से 28 फरवरी, 2005 तक) तथा उसके बाद अंशकालिक रूप से रू0 5,000/– प्रतिमाह (तीन माह के लिये), कुल 06 माह का अनुबन्ध किया जाये जिसमें उनसे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून एवं रूड़की के नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, जीरो कूड़ा पद्धति के अंतर्गत जैवनाशित कूड़े की स्रोत पर कम्पोस्टिंग एवं प्लास्टिक/पॉलीथीन का एकत्रीकरण करा कर निस्तारण की व्यवस्था पूर्णतया लागू कराना सुनिश्चित करें। वह अपने द्वारा किये गये कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, त्रैमासिक विस्तृत रिपोर्ट देंगे तथा छः माह उपरांत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्हें कार्य हेतु नियमानुसार TA/DA अनुमन्य होगा।

अन्त में बैठक के अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्य महानुभावों का बैठक में भाग लेने एवं अपने विचार रखने हेतु धन्यवाद प्रस्तुत किया गया।

(सी.वी.एस. नेगी)
सदस्य सचिव
उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून

(डा0 रणवीर सिंह)
सचिव
वन एवं पर्यावरण
उत्तरांचल शासन,
देहरादून